न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल बिश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 42/2024
3. उनवान :
   1. जमनाराम पुत्र ईसरा
   2. उदाराम पुत्र ईसरा
   3. प्रभाती देवी पुत्री ईसरा
   4. कमली देवी पुत्री ईसरा
   5. भंवरी देवी पुत्री ईसरा
   6. मूली देवी पुत्री ईसरा
   7. रूकमा पुत्री ईसरा
   8. सुशीला पुत्री ईसरा
   9. सिंगारी देवी पत्नी किशना
   10. शिवराम पुत्र किशना
   11. भागचन्द पुत्र किशना
   12. बनवारी पुत्र किशना
   13. ज्यानकी देवी पुत्री किशना
   14. झिमकू देवी पुत्री किशना
   15. जैसा पुत्र दूला
   16. भाना पुत्र दूला

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गदडी तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

   —अपीलान्ट्स

   बनाम

   राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

   —रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 23/12/25
5. अधिवक्तागणों का नाम :
   अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं श्री गोपाल लाल बाना अपीलांट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पेश की गई हैं कि राजस्व ग्राम गदडी, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 282/1 जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज रही। जिसके मूल खसरा नंबर 282/1 थे, जो संवत 2008 से 2029 की खतौनी बन्दोबस्त मे कॉलम नम्बर 3 में माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी दर्ज हैं तथा कॉलम नम्बर 5 मे मंगलाराम, सुखाराम पिता गीदा जाट दर्ज है जो मौके पर संवत 2057 से 2060 तक निरन्तर काबिज

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

काश्त रहे, इसके बाद विधिक विनिमय पत्र से उपरोक्त आराजी मंगला, सुखा पुत्र गीदा जाट के बजाय हाल अपीलान्ट के पूर्वज ईसरा, किशना, जैसा, भाना पुत्रान दूला जाति जाट के बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज रही तथा उसी अनुसार निरन्तर काबिज काश्त रहे, जिसको दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 28/7/2004 को माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील में निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 448 आदेश दिनांक 28/7/2004 को अपास्त किया जावें।

अपील के संलग्न अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम अपीलाधीन, नामान्तकरण संख्या 448 दि0 28/07/2004, जमाबन्दी संवत 2008–2029, 2032–2064, 2073–2076 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2033–2036 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पत्र क्रमांक 5692 दिनांक 06/12/2024 द्वारा जवाब अपील पेश किया जिसमें अंकित है कि ग्राम गदडी की मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में खाता संख्या 11 आराजी खसरा नं0 282/1 रकबा 15 बिस्वा के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी व अहतमाम पुजारी हनुमानदास पु० गुलजी जाति ब्राह्मण मिश्र सा0 बाय व कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम व सुखाराम पि० गोदा जाति जाट सा0 देह हि0 ब0 खातेदार के नाम दर्ज था। नामा0 संख्या 396 (विनिमय विलेख) के द्वारा मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदाराम कोम जाट सा0 देह के बजाय ईशरा, किशना, जैसा, भाना पि० दूला कोम जाट सा0 देह के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। नामा० संख्या 448 के द्वारा ईशरा, किशन, जैसा, भाना पि० दूला कोम जाट सा. देह के बजाय मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में खसरा नं0 282/1 में मंगलाराम व सुखाराम पि० गोदा जाति जाट सा0 देह हि0 ब0 दर्ज था। मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में खसरा नं० 282/2 में डूंगा पुत्र भूरा कौम जाट दर्ज था।

उक्त के संलग्न रेस्पोडेन्ट द्वारा मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29, जमाबन्दी संवत 2061–64 एवं नामान्तकरण संख्या 396 व 448 की प्रतिलिपि प्रेषित की है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम गदडी के अपीलाधीन खसरा नंबर 282/1 कॉलम नम्बर 3 में माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी दर्ज हैं तथा कॉलम नम्बर 5 में मंगलाराम, सुखाराम पिता गीदा जाट दर्ज है जो मौके पर संवत 2057 से 2060 तक निरन्तर काबिज काश्त रहे, इसके बाद विधिक विनिमय पत्र से उपरोक्त आराजी मंगला सुखा पुत्र गीदा

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

जाट के बजाय हाल अपीलान्ट के बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज रही तथा उसी अनुसार निरन्तर काबिज काश्त रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण 448 दिनांक 28/7/2004 तस्दीक किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 282/1 जो जागीर रिजम्पशन एक्ट धारा 9 के तहत मंगलाराम, सुखाराम पिता गीदाराम जाट के नाम दर्ज की गई। मिसल बंदोबसत संवत 2008 से 2029 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम, सुखाराम पिता गीदाराम जाट दर्ज हैं। इसके उपरान्त राजस्व जमाबन्दी रिकार्ड में मंगलाराम, सुखाराम पिता गीदाराम जाट उनके पश्चात अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रही। उक्तवर्णित आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नही रही। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्तके कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित मंगलाराम, सुखाराम पिता गीदाराम जाट के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हुआ। अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित मंगलाराम, सुखाराम जाट को माफी रिजम्पशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी, वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह मंगलाराम, सुखाराम जाट से विनिमय के बाद अपीलान्ट के पूर्वजों व अपीलान्ट का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24/5/2007 एवं उसकी पालना में स्वयं राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06/01/2010 अनुसार उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नही करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता। जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुदकाश्त की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। जब अपीलान्ट से पूर्वाधिकारी भूमि के काश्तकार थे तो पश्चातवर्ती इन्द्राज को गलत नही माना जा सकता। खुदकाश्त भूमि धारा 2(1) अनुसार जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में काश्त की जाती है "End cultivated personalnty" व खुदकाश्त मानी जावेगी। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूमशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकारण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट से पूर्व के पूर्वाधिकारी खातेदार हो गये। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 2007 दिनांक 24/5/2007 में निर्देश है कि गलत ढंग से कृषको का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरुद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती हैं, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं, को नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारो की कृषि भूमि से उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर महरूम कर दिया, जो क्षेत्राधिकार बाहर होने के कारण प्रारंभतः ही प्रभावहीन है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 13/12/1991 में किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को माफी मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने का

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

उल्लेख नही हैं। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25/11/2011 में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों ने मूर्ति मन्दिर की खातेदारी भूमि में लिखे पुजारी अथवा सेवायतो के नाम हटा देने के साथ-साथ उन कृषको के खातेदारी अंकन को विलोपित कर दिया, जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुये थे। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के गरीब अशिक्षित व्यक्ति हैं। जिन्होंने उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत् हल्का पटवारी से दिनांक 12/9/2024 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनके नाम के स्थान पर माफी मन्दिर मनोहर जी सा.देह का नाम दर्ज होने का तथ्य जाहिर हुआ। जिस पर अपीलान्ट द्वारा प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश की गई। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं है तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नही देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीको से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानो का उल्लघंन हुआ, जो उक्त प्रकरण में हुआ हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 448 आदेश दिनांक 28/7/2004 को अपास्त किया जावे।

सुयोग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर. आर. टी. 2004 (1) पेज 238, आर.आर.टी 2005 (1) पेज 228, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1041, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 829, आर.आर.टी. 2006-07 पेज 443 के न्यायिक दृष्टांतों का कथन किया है।

पेशकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त संवत 2008-29 में अपीलाधीन भूमि खसरा नं0 282/1 के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी व अहतमाम पुजारी हनुमानदास पु० गुलजी व कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम व सुखाराम पि० गोदा खातेदार के नाम दर्ज था। नामा0 संख्या 396 में विनिमय विलेख द्वारा मंगलाराम, सुखाराम के बजाय ईशरा, किशना, जैसा, भाना पि० दूला के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। नामा० संख्या 448 के द्वारा उक्त भूमि ईशरा, किशन, जैसा, भाना पि० दूला के बजाय मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। उक्त नामान्तरण मुताबिक आदेश देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/91 जयपुर तथा परिपत्र क्रमांक (4)राज-4/90/37 जयपुर व दिनांक 13/07/91 उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान जयपुर एवं उपतहसील रेनवाल क्रमांक/मू0अ0/04/921 दिनांक 19/07/04 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है ''अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्टया किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के

रेविन्यू अपील अथॉरिटी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) जयपुर

कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत अपील तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 28/7/2004 के विरूद्ध विचाराधीन है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि ग्राम गदडी, तहसील किशनगढ रेनवाल की अपीलाधीन भूमि हाल खसरा नम्बर 282/1 अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रही जिसे अपीलाधीन नामान्तरण सं0 448 द्वारा माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पत्रावली में प्रेषित जवाब दिनांक 06/12/2024 में अंकित है कि "मिसल बन्दोबस्त संवत 2008-29 में खाता संख्या 11 आराजी खसरा नं0 282/1 रकबा 15 बिस्वा के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी व अहतमाम पुजारी हनुमानदास पु० गुलजी जाति ब्राह्मण मिश्र सा0 बाय व कॉलम संख्या 5 में मंगलाराम व सुखाराम पि० गोदा जाति जाट सा0 देह हि0 ब0 खातेदार के नाम दर्ज था। नामा0 संख्या 396 (विनिमय विलेख) के द्वारा मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदाराम कोम जाट सा0 देह के बजाय ईशरा, किशना, जैसा, भाना पि० दूला कोम जाट सा0 देह के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। नामा० संख्या 448 के द्वारा ईशरा, किशन, जैसा, भाना पि० दूला कोम जाट सा. देह के बजाय मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई।"

उक्त जवाब के संलग्न मिसल बन्दोबस्त संवत 2008-29 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में "माफी मुरली मनोहरजी मजकूर" तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में "मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदा जाति जाट सा0 देह हि0 ब0 खातेदार" दर्ज है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032-2064 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2033-2036 के काश्तकार के कॉलम में मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदा का नाम अंकित है। नामा0 संख्या 396 (विनिमय विलेख) के द्वारा मंगलाराम, सुखाराम पि0 गीदाराम कोम जाट सा0 देह के बजाय ईशरा, किशना, जैसा, भाना पि० दूला कोम जाट सा0 देह के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। उपरोक्त आराजी जमाबंदी संवत 2061 के नाम काश्तकार में "ईसरा, किशना, जैसा, भाना पुत्रान दूला कौम जाट सा0 देह" दर्ज है।

इससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी तथा मंगलाराम, सुखाराम की काश्तकारी भूमि थी, जो विनिमय विलेख नामा0 संख्या 396 द्वारा अपीलान्ट के पूर्वज ईसरा, किशना, जैसा, भाना पुत्रान दूला के नाम दर्ज हुई।

न्यायिक नजीर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार इस प्रकरण पर चस्पा होता है जिसमें निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप में प्रदत्त जागीर की भूमि, जिसमें मंदिर खुदकाश्त नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक आदेश देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/91 जयपुर तथा परिपत्र क्रमांक (4)राज-4/90/37 जयपुर व दिनांक 13/07/91 उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान जयपुर एवं

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) जयपुर

उपतहसील रेनवाल क्रमांक/भू0अ0/04/921 दिनांक 19/07/04 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 448 स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या क्रमांक प.2 (4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.91 के किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को मन्दिर माफी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र प0क–3(2) राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24/5/2007 में अंकित किया है कि "मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि० 13–12–91 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को उसके विरुद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में तत्समय तहसीलदार सांभरलेक ने पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित जवाब/रिपोर्ट में खसरा नंबर 282/1 के सम्बन्ध में कोई रेफरेन्स किए जाने या कोई रेफरेन्स कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित होने बाबत उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्यों, रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि तत्समय राजस्व कार्मिकों व तहसीलदार द्वारा बिना जांच किए व बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 28/7/2004 सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 448 आदेश दिनांक 28/7/2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर